

संख्या ओ-12016/1/2012-प्रशासन।

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन

नई दिल्ली, दिनांक: 1 मार्च, 2013

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि डॉ. अशोक सिंघवी, संयुक्त सचिव (शहरी विकास) तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक संयुक्त सचिव (शहरी विकास) के अपने नियमित प्रभार के अलावा अब तक संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय) द्वारा देखे जाने वाले मामलों का भी निपटान करेंगे।

(आई.एम. खान)

अवर सचिव (प्रशासन)

दूरभाष: 23061426

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री/ निजी सचिव, माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री/ निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (शहरी विकास)
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/निजी सचिव, सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन) निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)
3. दोनों मंत्रालयों के सभी संयुक्त सचिव के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार/ प्रमाण पत्र प्राधिकरण के नियंत्रक/सलाहकार (सीपीएचईईओ)/विशेष कार्य अधिकारी (यूटी) एवं पदेन संयुक्त सचिव
4. शहरी विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सभी निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, और अनुभाग अधिकारी।
5. वेतन व लेखा अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
7. कार्यालय आदेश मिसिल
8. एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

[रजनीश कुमार झा]

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I)